

SASCI योजना द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतष्ठिति पर्यटन केंद्रों का विकास

प्रलम्बिस के लिये:

[पूँजीगत नविश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिये योजना](#), [सार्वजनिक-नजी भागीदारी](#), [जल जीवन मशिन](#), [प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना](#), [सर्वदेश दर्शन योजना](#)

मेन्स के लिये:

पूँजीगत नविश, सतत पर्यटन एवं बुनियादी ढाँचे के लिये राज्यों को विशेष सहायता के लिये योजना

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने [पूँजीगत नविश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिये योजना\(SASCI\)](#) - वैश्विक स्तर पर प्रतष्ठिति पर्यटन केंद्रों के विकास के तहत 23 राज्यों में 40 पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिये 3,295 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

- यद्यपि पूँजीगत नविश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिये योजना(SASCI) वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू है, यह पहली बार है जब पर्यटन के लिये विशेष रूप से धनराशि आवंटित की गई है।

वैश्विक स्तर पर प्रतष्ठिति पर्यटन केंद्रों का SASCI विकास क्या है?

- SASCI योजना के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतष्ठिति पर्यटन केंद्रों के विकास घटक का उद्देश्य भारत में पर्यटन के बुनियादी ढाँचे को विकसित करना, पर्यटन में विविधता लाने के लिये बटेश्वर (उत्तर प्रदेश), पोंडा (गोवा) और गंडकिोटा (आंध्र प्रदेश) जैसे कम देखे जाने वाले स्थलों को बढ़ावा देना है।
 - उद्देश्य:** यह योजना राज्यों को प्रतष्ठिति पर्यटन केंद्रों के विकास, ब्रांडिंग और वैश्विक विपणन के लिये 50 वर्षों के लिये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है।
 - इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना और संपूर्ण पर्यटन मूल्य शृंखला (जिसमें परिवहन, आवास, गतिविधियाँ और सेवाएँ शामिल हैं) को मज़बूत करना है।
- योजना की मुख्य विशेषताएँ:** राज्य द्वारा प्रस्तुत केवल चयनित प्रस्तावों के लिये ही वित्तपोषण प्रदान किया जाता है जो योजना के दशानिदेशों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं।
 - पर्यटन मंत्रालय कनेक्टिविटी, मौजूदा पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, साइट क्षमता, उपयोगिताओं की उपलब्धता, परियोजना प्रभाव, वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता जैसे मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा।
 - प्रस्तावों को चुनौतीपूर्ण विकास प्रक्रिया का पालन करना होगा।
 - चुनौतीपूर्ण विकास प्रक्रिया नरिधारित मानदंडों के आधार पर प्रतस्पर्धी मूल्यांकन के माध्यम से सर्वोत्तम प्रस्तावों का चयन करती है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली, नवीन परियोजनाएँ सुनिश्चित होती हैं।
 - राज्यों को बना **किसी कीमत के बिना किसी बाधा के भूमि** उपलब्ध करानी चाहिये। परियोजनाएँ धारणीय होनी चाहिये, जनिका संचालन और रखरखाव लंबे समय तक हो।
 - परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि **दो वर्ष** नरिधारित की गई है तथा धनराशि 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
 - राज्य सरकार संभवतः [सार्वजनिक-नजी भागीदारी \(PPP\)](#) मोड के माध्यम से परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिये पूरी तरह से ज़म्मेदार है।
 - राज्य विश्व स्तरीय पर्यटन विकास के लिये नजी फर्मों को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन दे सकते हैं।
- सहायता का स्वरूप:** राज्य एकाधिक परियोजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक परियोजना के लिये अधिकतम वित्तपोषण 100 करोड़ रुपए होगा।
 - असाधारण परियोजनाओं के लिये, पर्यटन मंत्रालय [व्यय विभाग \(DoE\)](#) के अनुमोदन के अधीन, अधिक धनराशि का प्रस्ताव कर सकता है।

○ भारत सरकार परियोजना लागत का 100% वहन करेगी, जबकि राज्यों को परधीय बुनियादी ढाँचे, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण में योगदान देना होगा।

• कसि भी राज्य को 250 करोड रुपए से अधिक धनराशि नहीं मल्लेगी, तथा धनराशि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटति की जाएगी।

■ कार्यान्वयन और नगिरानी: राज्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लयि ज़मिमेदार है, जबकि पर्यटन मंत्रालय उनकी प्रगतिकी देखरेख करेगा।

SASCI योजना क्या है?

- **परचिय:** कोवडि-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में 'पूजीगत नविश के लयि राज्यों को वशिष सहायता योजना' शुरू की गई थी। इसके बाद इसे वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 'पूजी नविश के लयि राज्यों को वशिष सहायता योजना' के रूप में लागू कयिा गया।
- **उद्देश्य:** राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वतितीय सहायता प्रदान करना।
- **योजना की संरचना:** यह योजना प्रमुख वकिस क्षेत्रों पर केंद्रति है, जसिमें वाहन परमिरजन (स्करैपेज) पहल, शहरी नयिोजन सुधार, पुलसि कर्मयिों के लयि आवास और यूनटि मॉल परयिोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना शामिल है।
 - यह शैक्षकि पहुँच सुनिश्चति करने के लयि पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढाँचे के साथ पुस्तकालयों की स्थापना का भी समर्थन करता है।
- **योजना का उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य मांग को प्रोत्साहति और रोज़गार सृजन करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, साथ ही राज्य के वतिपोषण के माध्यम से **जल जीवन मशिन्** और **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना** जैसी प्रमुख परयिोजनाओं को गतदिना है।
 - यह शहरों में जीवन की गुणवत्ता और शासन को बढ़ाने के लयि शहरी नयिोजन और वति में सुधारों को भी प्रोत्साहति करता है।

पूजीगत व्यय

- **पूजीगत व्यय (Capex)** से तात्पर्य बुनियादी ढाँचे और मशीनरी जैसी भौतिक परसिंपत्तयिों के अधगिरहण या सुधार, आर्थकि उत्पादकता और रोज़गार बढ़ाने हेतु सरकारी नधियिों से है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 में पूजीगत व्यय के लयि 11.11 लाख करोड रुपए (या **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का 3.4%) आवंटति कयिा गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत की पहल

- **सुवदेश दरशन योजना**
- **राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा**
- **देखो अपना देश पहल**
- **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'**
- **अतुल्य भारत टूरसिट फ़ैसलिटिटर सर्टकफिकेशन प्रोगराम**
- **ई-वीजा**
- **कषेत्रीय संपरक योजना (RCS-UDAN)**
- **राष्ट्रीय तीरथस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मकि, वरिसत संवर्धन अभयान मशिन् (PRASHAD)**
- **पर्यटन अवसंरचना वकिस योजना हेतु केंद्रीय एजेंसयिों को सहायता:** पर्यटन अवसंरचना एवं सांस्कृतकि पर्यटन के वकिस हेतु वतितीय सहायता।
- **आतथिय सहति घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (DPPH) योजना:** पर्यटन कार्यक्रमों, मेलों एवं त्योहारों के आयोजन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना।

????? ???? ?????:

प्रश्न: पूजी नविश योजना हेतु राज्यों को वशिष सहायता से धारणीय पर्यटन को बढ़ावा मल्लिने के साथ राज्य के पूजीगत व्यय में कसि प्रकार वृद्धि होती है?

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????:

प्रश्न. परवत पारसिथतिकी तंत्र को वकिस पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से कसि प्रकार पुनःस्थापति कयिा जा सकता है ? (2019)

प्रश्न. पर्यटन की प्रोन्नतिके कारण जम्मू और कश्मीर, हमिाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारसिथतिकी वहन क्षमता की सीमाओं तक पहुँच रहे हैं? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजयि। (2015)

